भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.\*111

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**न्यायालयों में लंबित मामले**

**\*111. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश भर के न्यायालयों में, आपराधिक मामलों सहित लंबित मामलों, से संबंधित कोई आंकड़ा मौजूद है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**27 जुलाई, 2018 को उत्तर देने के लिए राज्‍य सभा के तारांकित प्रश्‍न सं. \*111 के भाग (क) से (ग) का उत्तर देने के लिए निर्दिष्‍ट विवरण**

**(क) से (ग) :** उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में लंबित मामलों पर आंकड़े क्रमश: उच्‍चतम न्‍यायालय तथा उच्‍च न्‍यायालय द्वारा रखे जाते हैं । भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय की वेबसाइट पर उपलब्‍ध नवीनतम सूचना के अनुसार उच्‍चतम न्‍यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्‍या 54,013 है । राष्‍ट्रीय न्‍यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के वेबपोर्टल पर उपलब्‍ध सूचना के अनुसार आज तारीख तक विभिन्‍न उच्‍च न्‍यायालयों में 43,54,021 मामले लंबित हैं । लंबित मामलों के (सिविल और दाण्‍डिक) के उच्‍च न्‍यायालय अनुसार ब्‍यौरे **उपाबंध-1** पर कथन में दिए गए हैं । देश के विभिन्‍न जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्‍ड, लक्षद्वीप और पुडूचेरी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र को छोड़कर) आज की तारीख तक 2,75,07,972 मामले लंबित हैं । लंबित मामलों (सिविल और दाण्‍डिक) के राज्‍य/ संघ राज्‍यक्षेत्र वार ब्‍यौरे **उपाबंध-2** पर कथन में दिए गए हैं ।

 सरकार ने न्‍यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे के लिए पारिस्‍थितिक तंत्र उपलब्‍ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं । सरकार द्वारा स्‍थापित न्‍याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्‍ट्रीय मिशन ने न्‍यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों को चरणवार समाप्‍त करने के लिए विभिन्‍न रणनीतिक पहलों के माध्‍यम से एक समन्‍वयात्‍मक दृष्‍टिकोण अंगीकार किया है, जिसमें न्‍यायालयों की अवसंरचना में सुधार, बेहतर न्‍याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का प्रभावन (आई सी टी) और उच्‍च न्‍यायालयों तथा उच्‍चतम न्‍यायालय में न्‍यायाधीशों के रिक्‍त पदों को भरना सम्‍मिलित है ।

 अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्‍न पहलों के अधीन पिछले चार वर्षों के दौरान मुख्‍य उपलब्‍धियां निम्‍नानुसार हैं—

जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-

 1993-94 में न्‍यायपालिका के लिए अवसंरचनात्‍मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 6,302 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 2,858 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 45.35% है) अप्रैल, 2014 से राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्‍कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से आज की तारीख तक बढ़कर 18,444 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्‍या 10,211 से बढ़कर आज की तारीख तक 15,853 हो चुकी है । इसके अतिरिक्‍त 2,709 न्‍यायालय हाल और 1,472 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं । केन्‍द्रीय सरकार ने 3,320 करोड़ रु० की अतिरिक्‍त प्राक्‍कलित लागत के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 से आगे स्‍कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है ।

बेहतर न्‍याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:-

 वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कम्‍प्‍यूटरीकृत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों की संख्‍या 13,672 से बढ़कर 16,089 हो चुकी है और 2,417 की वृद्धि दर्ज की गई है । राष्‍ट्रीय न्‍यायिक डाटा ग्रिड का विकास किया गया है जो उन जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों से, जिन्‍हें पहले ही कम्‍प्‍यूटरीकृत किया जा चुका है, मामला दायर करने, मामले की प्रास्‍थिति और आदेशों तथा निर्णयों की इलैक्‍ट्रॉनिक प्रतियों के बारे में नागरिकों को ऑनलाइन सूचना उपलब्‍ध करवाता है । इस पोर्टल पर 10.15 करोड़ मामलों, जिसके अंतर्गत 2.75 करोड़ लंबित मामले भी हैं, और 6.97 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों के बारे में सूचना उपलब्‍ध है । मुवक्‍किलों और अधिवक्‍ताओं को ई न्‍यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्‍टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्‍थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्‍यौरे सभी कम्‍प्‍यूटरीकृत न्‍यायालयों में ई न्‍यायालय बेव पोर्टल न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी), क्यूआर कोड(6.8 लाख डाउनलोड) की सुविधा के साथ ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्‍ड पुल सर्विस के माध्‍यम से उपलब्‍ध हैं । ई न्‍यायालय परियोजना चरण 2 के दौरान 127.06 करोड़ के संव्‍यवहारों की कुल संख्‍या के साथ देश की उच्‍चतम 5 मिशन मोड परियोजनाओं में लगातार बनी हुई है ।

उच्‍चतम न्‍यायालय, उच्‍च न्‍यायालयों में तथा जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों के रिक्‍त पदों को भरना:-

 मई 2014-23 जुलाई, 2018 की अवधि के दौरान, उच्‍चतम न्‍यायालय में 18 न्‍यायाधीशों की नियुक्‍ति हुई, उच्‍च न्‍यायालयों में 349 नए न्‍यायाधीश नियुक्‍त किए गए तथा 316 अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश स्‍थायी किए गए । मई 2014 में उच्‍च न्‍यायालयों की स्‍वीकृत संख्‍या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई । 31.12.2013 को जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों की स्‍वीकृत संख्‍या 19,518 थी जो 31.03.2018 को बढ़कर 22,545 हो गई। 31.12.2013 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या 15,115 थी जो 31.03.2018 को बढकर 17,109 हो गई ।

* बकाया मामला समिति द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से लंबित मामलों में कमी इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 24 उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।
* **न्यायमित्र स्कीम:-** न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2017 में न्यायमित्र स्कीम प्रारंभ की। इस स्कीम के अधीन, दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों को तेजी से निपटाने को सुकर बनाने हेतु सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया जाता है और न्यायमित्र के रूप में पदनामित किया जाता है। पहले चरण में राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के 15 जिलों में 15 न्यायमित्र नियुक्त किए गए हैं।
* लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों को कम करना:- वर्ष 2015 से 2017 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा कुल 140.63 लाख लंबित मामले निपटाए गए। वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के दौरान नियमित लोक अदालतों में 86.14 लाख लंबित मामले और 103.73 लाख मुकदमा पूर्व मामले निपटाए गए। वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के दौरान स्थायी लोक अदालतों में लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित 3.21 लाख मुकदमा पूर्व मामले निपटाए गए।
* एडीआर (अनुकल्पी विवाद समाधान) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 तारीख 3 मई 2018 को प्रख्यापित किया गया था। वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता क्रियाविधि आरंभ की गई है। संघ के मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र निकाय अर्थात् भारत की माध्यस्थम परिषद् (एसीआई) के सृजन के लिए उपबंध करके भारत को एडीआर (अनुकल्पी विवाद समाधान) क्रियाविधि का हब बनाने के लिए मार्च, 2018 में माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 का अनुमोदन किया है।
* विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय, वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं। इस समय सम्पूर्ण देश में 727 ऐसे त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए बारह (12) विशेष न्यायालय ग्यारह (11) राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली) में स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए 'दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018' प्रख्यापित किया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*111 जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**आज की तारीख तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **सिविल** | **दाण्डिक** | **रिट** | **कुल** |
| 1 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 155,332 | 308,600 | 248,169 | 712,101 |
| 2 | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 107,960 | 42,241 | 84,634 | 234,835 |
| 3 | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | 14072 | 7390 | 16041 | 37,503 |
| 4 | बम्बई का उच्च न्यायालय | 302,656 | 50,704 | 110,714 | 464,074 |
| 5 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 18053 | 24348 | 20147 | 62,548 |
| 6 | दिल्ली उच्च न्यायालय | 30519 | 19,577 | 22846 | 72,942 |
| 7 | गुजरात उच्च न्यायालय | 36136 | 35012 | 38270 | 109,418 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 25,794 | 6436 | 5869 | 38099 |
| 9 | जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय | 78,826 | 8715 | 0 | 87,541 |
| 10 | झारखंड उच्च न्यायालय | 15220 | 43832 | 29,975 | 89027 |
| 1 1 | हैदराबाद उच्च न्यायालय | 131,580 | 50,826 | 171,229 | 353,635 |
| 12 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 122,872 | 32103 | 70049 | 225,024 |
| 13 | केरल उच्च न्यायालय | 81,513 | 40,016 | 68,243 | 189,772 |
| 14 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 107,885 | 122,287 | 91761 | 321,933 |
| 15 | मणिपुर उच्च न्यायालय | 14218 | 1554 | 0 | 15,772 |
| 16 | मेघालय उच्च न्यायालय | 321 | 47 | 653 | 1021 |
| 17 | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 201,720 | 125,829 | 75,624 | 403,173 |
| 18 | राजस्थान उच्च न्यायालय | 86,479 | 72,261 | 106,138 | 264,878 |
| 19 | सिक्किम उच्च न्यायालय | 59 | 63 | 116 | 238 |
| 20 | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 922 | 428 | 1,622 | 2972 |
| 21 | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 10027 | 10,618 | 14,776 | 35,421 |
| 22 | मद्रास उच्च न्यायालय | 128,196 | 42105 | 144,044 | 314,345 |
| 23 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | 42,940 | 41,429 | 82,972 | 167,341 |
| 24 | पटना उच्च न्यायालय | 30,883 | 57,806 | 61,719 | 150,408 |
|  | **कुल लंबित मामले** | **1744183** | **1144227** | **1465611** | **4354021** |

**स्रोत:**  **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**उपाबंध-2**

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*111 जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**आज की तारीख तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **सिविल** | **दाण्डिक** | **कुल** |
| 1 | अण्डमान और निकोबार | 3296 | 7889 | 11185 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 288,826 | 223,804 | 512,630 |
| 3 | असम | 61,477 | 210,841 | 272,318 |
| 4 | बिहार | 259,134 | 1479350 | 1738484 |
| 5 | चंडीगढ़ | 16,567 | 24600 | 41,167 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 55023 | 179,579 | 234,602 |
| 7 | दिल्ली | 186,652 | 495,144 | 681,796 |
| 8 | दमण और दीव  | 1043 | 866 | 1909 |
| 9 | दादर और नागर हवेली | 1454 | 2049 | 3503 |
| 10 | गोवा | 21,699 | 20,908 | 42,607 |
| 1 1 | गुजरात | 499,599 | 1074879 | 1574478 |
| 12 | हरियाणा | 273,777 | 396,293 | 670,070 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 112,547 | 126,864 | 239,411 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 63304 | 75,786 | 139,090 |
| 15 | झारखंड | 57,683 | 289,018 | 346,701 |
| 16 | कर्नाटक | 690,350 | 775,085 | 1465435 |
| 17 | केरल | 385,088 | 869,533 | 1254621 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 314,250 | 1069327 | 1383577 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1153296 | 2272219 | 3425515 |
| 20 | मणिपुर | 5843 | 4221 | 10064 |
| 21 | मेघालय | 2045 | 4845 | 6890 |
| 22 | मिजोरम | 1575 | 2473 | 4048 |
| 23 | ओडिशा | 246,774 | 829,225 | 1075999 |
| 24 | पंजाब | 256,064 | 350,540 | 606,604 |
| 25 | राजस्थान | 397,198 | 1053174 | 1450372 |
| 26 | सिक्किम | 598 | 877 | 1475 |
| 27 | तमिलनाडु | 616,680 | 463,465 | 1080145 |
| 28 | तेलंगाना | 216,164 | 270,405 | 486,569 |
| 29 | त्रिपुरा | 7895 | 16258 | 24153 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 1619476 | 5000135 | 6619611 |
| 31 | उत्तराखंड | 33700 | 194,692 | 228,392 |
| 32 | पश्चिमी बंगाल | 484,226 | 1390325 | 1874551 |
|  | **कुल लंबित मामले** | **8333303** | **19174669** | **27507972** |

**स्रोत:**  **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***